


फर्द अहकाम  
 बाना बनाम अशोक

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी  
 केस संख्या 382/2016

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/12/16	<p>पत्रावली पेश। पक्षकारान वकील (अनुपस्थित) पक्षकारान व पक्षकारान के अधिवक्ता को आवाज दिलाई गयी फिर भी उपस्थित नहीं हुए। बार-बार आवाज दिलाई गयी। उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट का समय खर्च हो चुका है इसलिए जर्जी का प्राथमिक पत्र आइटम हाजरी व आइटम पैरवी में खारिज किया गया है। पत्रावली कुमल कुमार देकर दर्ज नम्बर से कम ही दाखिल दफ्तर रहे।</p> <p style="text-align: center;">               उपखण्ड अधिकारी फागी         </p>